भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 491
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में अमृत 2.0 का कार्यान्वयन

491. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जल निकायों के कायाकल्प और पुनर्भरण की किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ग) उक्त मिशन के अंतर्गत परिकल्पित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए इस योजना के माध्यम से दी गई केंद्रीय निधि और अतिरिक्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): 01 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना शुरू की गई है। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक ढांचे के अनुरूप परियोजनाओं का चयन, प्राथमिकता निर्धारण, डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी करने का अधिकार है। अब तक, आंध्र प्रदेश में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 8,517.69 करोड़ रुपये (संचालन और रखरखाव लागत सहित) की कुल 552 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 5,268.19 करोड़ रुपये की 269 जलापूर्ति परियोजनाएं, 2,727.46 करोड़ रुपये की 87 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं और 522.04 करोड़ रुपये की 196 जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2,640.12 करोड़ रुपये की लागत वाली 250 परियोजनाओं के लिए ठेके दिए गए हैं, जिनमें से 102.56 करोड़ रुपये की लागत वाली 42 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। 1,027.23 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य में अमृत 2.0 के तहत 522.04 करोड़ रुपये लागत वाली 196 जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 127.72 करोड़ रुपये की लागत वाली 90 परियोजनाओं के लिए ठेके दिए गए हैं, जिनमें से 22.08 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं और 86.60 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

(ग): अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को बढ़ावा देना मिशन के प्रोत्साहन आधारित सुधारों के अंतर्गत आता है। शहरी स्थानीय निकायों को डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम अपनाने और इसके लिए ऑडिट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश म्यूनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल (एपीएमएएम) विकसित किया है और सभी शहरी स्थानीय निकायों में अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम को लागू करने के लिए वर्ष 2007 में आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में, राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय अपने वार्षिक खातों को केवल अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम के तहत तैयार कर रहे हैं और अंतिम रूप दे रहे हैं।

(घ): अमृत 2.0 के अंतर्गत, अमृत 2.0 परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 2,948 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब तक, अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 589.55 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। परियोजनाओं के लिए धनराशि राज्यों को किस्तों में जारी की जाती है, जो पहले से जारी की गई धनराशि के उपयोग, कार्यों की प्रगति और अमृत 2.0 प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार होती हैं। राज्य को वित्तीय वर्ष 2024-25 में परियोजनाओं के लिए अभी भी धनराशि के दावे करने हैं।

*****